भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934

No. 36]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 फरवरी, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(नियुक्त बीमांकिक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013

फा, सं. बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/4/62/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धारा 14 और धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
 - क. ये विनियम बीमा विनियासक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकिक)(पहला संशोधन) विनियस, 2012 कहलाएँगे।
 - ख. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियुक्त बीमांकिक की नियुक्ति के लिए क्रियाविधि
 - क. विनियम 3(2)(ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - "बीमांकिक अधिनियम, 2006 के अनुसार निम्नलिखित में विशेषज्ञता के साथ (योग्यता और/या कार्यानुभव से प्रमाणित रूप में)फेलो सदस्य अथवा संबद्ध सदस्य :
 - i. जीवन बीमा कंपनी/जीवन पुनर्बीमा कंपनी के लिए जीवन बीमा;
 - ii. साधारण बीमा कंपनी/साधारण पुनर्बीमा कंपनी के लिए साधारण बीमा;
 - iii. एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी/स्वास्थ्य पुनर्बीमा कंपनी के लिए स्वास्थ्य बीमा;

परंतु शर्त यह होगी कि इस प्रकार की विशेषज्ञता के लिए अध्ययन का अंश बननेवाला पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री तथा नियुक्त

बीमांकिकों के लिए व्यवहार का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अपेक्षाएँ प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप होंगी।

परंतु शर्त यह भी होगी कि वर्तमान नियुक्त बीमांकिक जो विनियम 2(क)(i) अथवा 2(क)(ii) अथवा 2(क)(iii) में निहित

शतें, जैसी लागू हैं, पूरी नहीं करता उसे नियुक्त बीमांकिक के पद पर बने रहने के लिए पाँच वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित

विशेषज्ञता के विषय (विषयों) में अर्हता प्राप्त करनी होगी।"

ख. विनियम 3(2)(iv) को निम्निलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :
''व्यक्ति साधारण बीमा व्यवसाय/स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के मामले में साधारण बीमाकर्ता का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा।

परंतु शर्त यह भी होगी कि वर्तमान नियुक्त बीमांकिक जो विनियम 2(ख) में निहित शर्तें पूरी नहीं करता, उसे नियुक्त बीमांकिक के

पद पर बने रहने के लिए दो वर्ष की अवधि के भीतर कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाना होगा।"

- ग. विनियम 3(2)(viii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:
 - i. ''व्यक्ति जो 1 दिसंबर 2013 को सत्तर वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा; तथा 01.01.2014 से प्रत्येक कैलंडर वर्ष के 1 दिसंबर को पैंसठ वर्ष से अधिक आयु का नहीं होगा।
 - ii. व्यक्ति कैलंडर वर्ष के 1 दिसंबर को अथवा उसके बाद, जैसी स्थिति हो, जैसे ही पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता/करती है, उसका नियुक्त बीमांकिक के रूप में रहना समाप्त होगा ।
 - iii. यदि व्यक्ति किसी कैलंडर वर्ष के 1 दिसंबर से पहले पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता/करती है, तो उसे विनियमों के अन्य उपवंधों के अनुपालन के अधीन उस कैलेंडर वर्ष के 30 नवंबर तक नियुक्त बीमांकिक के रूप में बने रहने के लिए अनुमित दी जाएगी।
- घ. विनियम 3(2)(ix) के बाद निम्नलिखित विनियम निम्नानुसार निविष्ट किये जाते हैं :

3(2)(ix) व्यक्ति के पास निम्नलिखित अपेक्षित होगा:

- i. ज्युनतम 10 वर्ष का संबंधित अनुभव और
- ii. ऊपर (i) में उल्लिखित 10 वर्ष के अनुभव में से अर्हता-प्राप्ति (विशेषीकृत विषय में फेलोशिप)के बाद का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव और
- iii. नियुक्त बीमांकिक के लिए आवेदन करने से ठीक पहले उपयुक्त रूप में जिम्मेदार पदों पर कार्य किया होना चाहिए और
- iv. जिस नियुक्त बीमांकिक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके लिए संबंधित क्षेत्र में ऊपर (i) में उल्लिखित 10 वर्ष के अनुभव में से कम से कम 2 वर्ष का हाल ही का संबंधित अनुभव।
- 3. हितों का संघर्ष
 - क. विनियम 10 के बाद एक नया विनियम 11 निम्नानुसार निविष्ट किया जाता है :
 - 11. नियुक्त बीमांकिक के कार्य बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्त बीमांकिक) विनियम, 2000 के अनुसार होंगे तथा वह किसी भी अन्य हैसियत से कार्य नहीं करेगा/करेगी जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त विनियमों के अनुसार नियुक्त बीमांकिक के रूप में कार्य करने में हितों का संघर्ष उत्पन्न हो सके।

जे. हरि नारायण, अध्यक्ष [विज्ञापन III/4/असा./161/12]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th February, 2013

Insurance Regulatory and Development Authority (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2013

F. No. IRDA/Reg./4/62/2013.— In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement

a. These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Appointed Actuary) (First Amendment) Regulations, 2012

b. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Procedure for Appointment of an Appointed Actuary

a. Regulation 3 (2) (ii) is substituted by the following:

"A Fellow Member or an Affiliate Member in accordance with the Actuaries Act, 2006 with specialisation (as evidence by qualification and/or working experience) in:

i. Life insurance for Life insurance company/Life reinsurance company;

ii. General insurance for General insurance company/General reinsurance company;

iii. Health insurance for Stand-alone Health insurance Company/Health reinsurance company;

Provided, however, the syllabus and reading material constituting element of study for such specialization and the requirements for issuing the certificate of practise for Appointed Actuaries shall be to the satisfaction of the Authority.

Provided further that the existing Appointed Actuaries who does not satisfy the conditions in Regulation 2 (a) (i) or 2 (a) (ii) or 2 (a) (iii), as applicable, shall have to qualify the respective specialization subject (s) within a period of five years to continue to hold the position of Appointed Actuary."

b. Regulation 3 (2) (iv) is substituted by the following:

"a person shall be a full time employee of the General insurer in case of General Insurance business/Health Insurance business.

Provided further that the existing Appointed Actuaries who does not satisfy the conditions in Regulation 2 (b), shall have to be appointed as employee within a period of two years to continue to hold the position of Appointed Actuary."

c. Regulation 3 (2) (viii) is substituted by the following:

- i. "A person who shall not be over the age of seventy years as on 1st December 2013; and not over age sixty five years as on 1st December of every calendar year with effect from 01.01.2014.
- ii. A person shall cease to be Appointed Actuary, once he/she attains the age of sixty five years, as the case may be, on or after 1st December of a calendar year.
- iii. In case, the person attains the age of sixty five years before 1st December of a Calendar Year, he/she shall be allowed to continue as Appointed Actuary till 30th November of that calendar year subject to compliance with the other provisions of the regulations.

d. The following Regulations are inserted after Regulation 3 (2) (ix) as under:

3(2)(ix) A person shall have:

i. A minimum of 10 years relevant experience and

ii. At least 2 years of post qualified (Fellowship in the specialised subject) experience out of those 10 years of experience stated in (i) above and

iii. Should have handled suitably responsible positions immediately prior to the application for Appointed Actuary and

iv. At least 2 years of recent relevant experience out of those 10 years of experience stated in (i) above, in the respective field for which the Appointed Actuary position is being sought for.

3. Conflicts of Interest

a. A new Regulation 11 is inserted after Regulation 10 as under:

Il The Appointed Actuary 's functions shall be in accordance with IRDA (Appointed Actuary) Regulations, 2000 and he/she shall not function in any other capacity which could result in conflict of interest in performing his/her role as an Appointed Actuary in accordance with the aforementioned Regulations.

J. HARI NARAYAN, Chairman [ADVT. III/4/Exty./161/12]